

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक— एफ-2-11/सात-4/2017

नया, रायपुर दिनांक

15 FEB 2017
02.2017

प्रति,

समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय: W.P.(PIL) No17/2017- in Refrence High Court of Chhattisgarh its own motion ।

संदर्भ: महाधिवक्ता छत्तीसगढ़,बिलासपुर का पत्र क्रमांक AG/CG/BSP/2017 दिनांक 03.02.2017

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर द्वारा दिनांक 02.02.2017 को पारित आदेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है । दैनिक भास्कर समाचार पत्र बिलासपुर के 01 फरवरी, 2017 के अंक में राजस्व प्रशासन का संचालन अनाधिकृत (गैर सरकारी) व्यक्तियों के द्वारा करने संबंधी समाचार प्रकाशित किया गया है। इस स्थिति को माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुये अप्रसन्नता व्यक्त की है ।

2. कुछ ऐसे समाचार भी मिले हैं, कि शहरी क्षेत्र के पटवारियों द्वारा अपने साथ गैर-सरकारी व्यक्तियों को कार्यालय में सहयोगी के रूप में रखकर उनसे शासकीय कार्य निष्पादित करवाया जा रहा है । यह कदाचित उचित नहीं है । शासकीय कार्यालयों जिसमें पटवारियों का कार्यालय भी शामिल है, में गैर शासकीय व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाना नियमानुकूल नहीं है । इससे शासकीय अभिलेखों में छेड़छाड़ किये जाने तथा शासकीय अभिलेखों को नष्ट किये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

3. अतः सुनिश्चित करें, कि किसी भी शासकीय कार्यालयों में अनाधिकृत (गैर सरकारी) व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य संपादित नहीं किया जाये । कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और की गई कार्यवाई से अर्धशासकीय पत्र द्वारा अवगत करायें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

(रेणु जी.पिल्ले)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

नया, रायपुर दिनांक

15 FEB 2017

क्रमांक— एफ-2-11/सात-4/2017

प्रतिलिपि:

1. महाधिवक्ता छत्तीसगढ़,बिलासपुर को उनके पत्र क्रमांक AG/CG/BSP/2017 दिनांक 03.02.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
2. सचिव, छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, नया रायपुर को उनके पत्र क्रमांक 275/393/2017/1-6 दिनांक 06.02.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग